



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3307 वर्ष 2026

स्वाति

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सचिन कुमार शर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन कुमार शर्मा और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी. के. श्रीवास्तव को सुना।
2. यद्यपि वर्तमान रिट याचिका जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूं द्वारा आय प्रमाण पत्र निरस्त होने के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर रिट याची की नियुक्ति निरस्त करने वाले आदेश दिनांक 21.11.2025 पर प्रश्न उठाते हुए प्रस्तुत की गई है, परंतु रिट याची के विद्वान अधिवक्ता से यह स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या आय प्रमाण पत्र निरस्त करने वाले आदेश को चुनौती की विषयवस्तु बनाया गया है, उत्तर नकारात्मक है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश भी संलग्न नहीं है।
3. उक्त स्थिति का सामना करते हुए, रिट याची के विद्वान अधिवक्ता उपयुक्त कार्यवाहियों में उक्त आदेश पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तदनुसार, पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर रिट याचिका खारिज की जाती है।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।